12

सामुदायिक सक्रियता द्वारा सहभागी जन योजना

डॉ. राजीव बंसल

DOI: https://doi.org/10.65651/NP.978-93-5857-988-8.2025.142-154
ISBN: 978-93-5857-988-8

सार

ग्राम पंचायत विकास योजना एक सहभागी और समावेशी योजना निर्माण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए सतत और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय आधारित निगरानी को बढ़ावा देती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी और टिकाऊ विकास संभव हो पाता है यह लेख समुदाय की भागीदारी के साथ एक सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस योजना में ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी, हितधारकों की क्षमता निर्माण, और रेखा विभागों के समन्वय के माध्यम से स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान कर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। ग्राम पंचायत विकास योजना न केवल विकेन्द्रीकृत शासन को सशक्त करता है, बल्कि सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का माध्यम भी बनता है। इसमें चरणबद्ध प्रक्रिया की स्पष्ट रूपरेखा दी गई है, जिससे विकास की जिम्मेदारी समुदाय स्वयं वहन करता है। यह दृष्टिकोण लेखक के अनुभवों पर आधारित है और उपयुक्त अनुकूलन के साथ अन्य क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

मुख्य शब्द: ग्राम पंचायत विकास योजना**,** समग्र विकास, पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय आधारित निगरानी

प्रस्तावना

देश की एक बड़ी जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और समग्र विकास सुनिश्चित करना एक प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकता है। विकेन्द्रीकृत योजना

विभिन्न समयों में सरकारों के लिए एक मुख्य चिंता का विषय बनी रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा को सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं को अनुमोदित करने की सिफारिश दलीप सिंह भूरिया समिति (1994) द्वारा की गई थी। योजना आयोग की विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट (2006) ने स्थानीय स्तर की योजना के लिए एक व्यावहारिक कार्य योजना का सुझाव दिया। स्वतंत्रता के बाद के भारत में जमीनी स्तर की योजना या विकेन्द्रीकृत योजना अधिकतर बहस का विषय रही है, बजाय इसके प्रभावी क्रियान्वयन के। भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में जमीनी स्तर की योजना की जड़ें मौजूद हैं। यद्यपि अतीत में शुरू किए गए अनेक प्रयास राज्यों में अपेक्षित परिणाम नहीं ला सके, फिर भी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाने की कोशिशें और प्रयोग की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

सरकार की पहलें

हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण विकास विभाग विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उद्देश्य है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधाओं का विस्तार
- रोजगार के अवसरों की उपलब्धता
- गरीब, दलित और महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर में सुधार

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाई है और विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता

हालांकि, यह देखा गया है कि कई योजनाएं अपेक्षित प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं। इसके पीछे मुख्य कारण हैं:

- प्रशासन और ग्रामीण जनता के बीच की दूरी
- स्थानीय सहभागिता की कमी

इन कमियों को दूर करने के लिए योजनाओं में समय-समय पर संशोधन किए जा रहे हैं ताकि वे अधिक प्रभावशाली बन सकें।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास की चुनौतियाँ और समाधान

हिमाचल प्रदेश, एक पहाड़ी राज्य होने के कारण, यहाँ के ग्रामीण लोगों को भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दुर्गम स्थल, सीमित संसाधन, और परिवहन की कठिनाइयाँ यहाँ के विकास कार्यों को प्रभावित करती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **भौगोलिक बाधाएँ**: पर्वतीय इलाकों में सड़क, बिजली, और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कठिन होता है।
- **सूचना की कमी**: ग्रामीण जनता तक सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं पहुँच पाती।
- **स्थानीय भागीदारी की कमी**: विकास योजनाओं में जनसहभागिता का अभाव योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू होने से रोकता है।

इन प्रयासों के बावजूद, ग्रामीण जनता की अधिकांश समस्याएँ अभी भी बनी हुई हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना: समावेशी और सशक्त स्थानीय शासन की दिशा में

भारत की पंचायती राज व्यवस्था ने ग्राम पंचायतों को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं, जिनका उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना। इन अधिकारों का सही और प्रभावी उपयोग करके ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित कर सकती हैं।

वर्तमान स्थिति की चुनौतियाँ

हालांकि, यह देखा गया है कि कई ग्राम पंचायतें अभी भी विकास की दृष्टि से पीछे हैं। इसका मुख्य कारण है:

- योजनाबद्ध तरीके से कार्य न करना
- स्थानीय समस्याओं की पहचान और समाधान में सामूहिक भागीदारी की कमी
- संसाधनों का असंगठित उपयोग

इसीलिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अपनी स्वयं की विकास योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है।

ग्राम पंचायत विकास योजना क्या है?

ग्राम पंचायत विकास योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गाँव के लोग सामूहिक रूप से:

- अपनी समस्याओं की पहचान करते हैं

- प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं
- उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विकास की योजना बनाते हैं

यह योजना नीचे से ऊपर की सोच पर आधारित होती है, जिसमें जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है।

ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। पंचायतों की राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो ग्रामीण भारत के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया को व्यापक और सहभागी प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/रेखा विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण समन्वय शामिल हो। ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना की परिकल्पना करने, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सके। जन योजना अभियान ग्राम पंचायत विकास योजना को अभियान मोड में तैयार करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।

सामूहिक भागीदारी से समग्र विकास

जब ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजना स्वयं बनाती हैं और उसमें सभी वर्गों महिलाओं, युवाओं, वृद्धों, दलितों की भागीदारी होती है, तो विकास न केवल तेज़ होता है बल्कि स्थायी और समावेशी भी बनता है।

इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा "पीपल्स प्लान अभियान" नामक एक अभियान के माध्यम से की गई है। यह अभियान सहभागी प्रक्रिया पर आधारित एक व्यापक योजना प्रक्रिया की परिकल्पना करता है, जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/रेखा विभागों की योजनाओं के साथ पूर्ण समन्वय शामिल होता है। पंचायतों को ग्रामीण भारत के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। जन योजना अभियान को सभी राज्यों में 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में लागू किया गया है। इस अभियान के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजना अभियान ग्राम सभा स्तर पर योजना बनाने के लिए एक गहन और संरचित अभ्यास है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित राज्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है, इस अभियान के अंतर्गत, मिशन अंत्योदय के तहत सभी ग्राम पंचायतों के संबंध में डेटा संग्रहण का कार्य पूरा किया गया है ताकि इस अभ्यास को पूर्ण किया जा सके।

योजना निर्माण की प्रक्रिया के चरण

ग्राम/पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से अपनाना चाहिए। इस महत्वाकांक्षी अभियान के लक्ष्यों को सीमित समय में प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित कार्यप्रणाली अपनाई जाएगी, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होंगे—

चरण विवरण

1 **जन जागरूकता अभियान** – लोगों को योजना की जानकारी देना

2 **ग्राम सभा का आयोजन** – समस्याओं की पहचान और प्राथमिकता तय करना

3 **संसाधनों का मूल्यांकन** – उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों की सूची बनाना

4 **योजना का प्रारूप तैयार करना** – लक्ष्यों और गतिविधियों को स्पष्ट रूप से लिखना

5 **क्रियान्वयन और निगरानी** – समयबद्ध तरीके से कार्य करना और प्रगति की समीक्षा करना

रणनीति का प्रारूप

इस परियोजना को मिशन मोड में क्रियान्वित करने के लिए एक समयबद्ध रणनीति अपनाई जा सकती है, जिससे पंचायत विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए एक मानक रणनीति अपनाई जा सकती है, जिसमें शामिल हैं:

- ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि
- ग्राम पंचायत के सदस्य
- सामुदायिक आधारित संगठन जैसे महिला मंडल और युवक मंडल
- स्वयं सहायता समूहों के सदस्य
- ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न रेखीय विभागों के कार्मिक

चरण I – पर्यावरण निर्माण और स्थिति विश्लेषण हेतु हितधारकों की कार्यशाला

ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रभावी शुरुआत के लिए पहले चरण में एक हितधारकों की कार्यशाला आयोजित की जाती है। ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल की पहचान और वर्गीकरण कार्यशाला में किया जा सकता है। हितधारकों को उनकी रुचियों के आधार पर समूहों में संगठित किया जा सकता है ताकि उनकी धारणाओं को समझा जा सके। यह कार्यशाला गतिविधि पर्यावरण निर्माण, स्थिति विश्लेषण, स्वॉट (SWOT) विश्लेषण, हितधारकों की रुचियों का मानचित्रण और मूल रूप से योजना निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए एक अवसर होगी इस कार्यशाला का उद्देश्य है:

- योजना के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करना
- ग्राम पंचायत की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति का विश्लेषण करना
- सभी हितधारकों को योजना प्रक्रिया की महत्ता और भूमिका से अवगत कराना
- सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायत प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय स्थापित करना

यह कार्यशाला योजना निर्माण की नींव रखती है और आगे के चरणों के लिए सामूहिक दृष्टिकोण को मजबूत करती है।

चरण II – प्रशिक्षण संस्थान द्वारा क्षमता निर्माण

इस चरण में ग्राम पंचायत योजना प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए संबंधित व्यक्तियों की क्षमता निर्माण की जाती है। ग्राम पंचायत योजना प्रक्रिया के प्रशिक्षण संदर्भ में:

- प्रशिक्षण संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल (GPFT) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है
- योजना निर्माण, भागीदारी दृष्टिकोण, संसाधन मूल्यांकन, और निगरानी तंत्र जैसे विषयों पर व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है
- प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को तकनीकी दक्षता, नेतृत्व कौशल, और सामुदायिक संवाद की क्षमता प्राप्त होती है
- यह चरण योजना की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए मूलभूत आधार प्रदान करता है

ब्लॉक स्तर पर राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कैप्सूल सरल और सहज तरीके से तैयार किया जा सकता है और लागू किया जा सकता है। इन तीन दिनों को निम्नलिखित रूप में समर्पित किया जा सकता है:

सॉफ्ट स्किल्स पर क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण हॉल में निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाए:

- प्रेरणा
- स्वैच्छिकता
- संवाद कौशल
- नेतृत्व
- टीम निर्माण
- सामुदायिक एकत्रीकरण

योजना प्रक्रिया का ज्ञान

प्रशिक्षण हॉल में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी जाए:

- सूक्ष्म योजना
- सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
- आधार रेखा सर्वेक्षण / मिशन अंत्योदय
- ग्राम पंचायत विकास योजना दिशा-निर्देश
- हितधारकों की भूमिका
- सतत् विकास लक्ष्य एवं विकास विभागों की प्रमुख योजनाएँ

योजना प्रक्रिया पर कौशल विकास

प्रशिक्षण हॉल में निम्नलिखित व्यावहारिक विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाए:

- गाँव/वार्ड स्तर पर क्लस्टर बैठकें
- वार्ड सभाओं का आयोजन एवं वार्ड योजना का निर्माण
- वार्ड योजनाओं का समेकन कर प्रारंभिक ग्राम पंचायत योजना तैयार करना
- ग्राम सभा द्वारा योजना का साझा करना एवं चर्चा

- विकास योजना का समेकन कर अंतिम सहभागी योजना तैयार करना

प्रशिक्षण का समापन ग्राम पंचायत विकास योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वार्ड के लिए ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल) के गठन के साथ किया जाना चाहिए, ताकि वे क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए कार्य कर सकें।

चरण III – ट्रांज़ैक्ट वॉक / वार्ड स्तर पर क्लस्टर बैठकें

इस चरण में ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में ट्रांज़ैक्ट वॉक और क्लस्टर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य है:

- वार्ड स्तर पर स्थानीय समस्याओं और संसाधनों की पहचान करना
- समुदाय के साथ मिलकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन करना
- हितधारकों के साथ सीधे संवाद स्थापित करना
- वार्ड सभा के लिए पूर्व तैयारी करना
- योजना निर्माण के लिए प्राथमिक जानकारी एकत्रित करना

ट्रांज़ैक्ट वॉक के दौरान योजना दल क्षेत्र का भ्रमण करता है और भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को समझता है। इसके बाद क्लस्टर बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहाँ वार्ड के नागरिक अपनी समस्याएँ, सुझाव और आवश्यकताओं को साझा करते हैं।

यह चरण सहभागिता आधारित योजना की नींव को मजबूत करता है और आगे के वार्ड योजना निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है।

कक्षा प्रशिक्षण के बाद, ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल के सदस्य, विभागीय प्रतिनिधि, सामुदायिक आधारित संगठनों के सदस्य एवं पंचायत प्रतिनिधियों को वार्ड अनुसार समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए (प्रत्येक वार्ड के लिए एक समूह)।

प्रत्येक समूह में निम्नलिखित सदस्य शामिल हो सकते हैं:

- 2-3 ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल सदस्य
- संबंधित वार्ड सदस्य
- महिला मंडल एवं युवा समूहों के सदस्य
- गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और संचालन हेतु संभावित सुविधा प्रदाता

सभी समूहों को निर्देशित किया जाना चाहिए कि वे वार्ड के निवासियों से चर्चा करके निम्नलिखित प्रारूपों में जानकारी एकत्र करें:

- मिशन अंत्योदय प्रारूप
- डेटा संग्रह प्रारूप
- स्थिति विश्लेषण प्रारूप
- विकास स्थिति रिपोर्ट प्रारूप

यह प्रक्रिया वार्ड स्तर पर सहभागिता आधारित योजना निर्माण को सशक्त बनाती है और जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को समझने में सहायक होती है।

समूह के सदस्यों को अपने-अपने वार्डों में ग्रामीणों से संवाद करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं पर चर्चा करनी चाहिए। उन्हें ग्रामीणों को ग्राम सभा तथा उप-ग्राम सभा / वार्ड स्तर की बैठक में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों को अपनी जिज्ञासाएँ व्यक्त करने और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। वे अपनी दृष्टि और समस्याएँ समूह के सदस्यों के साथ स्वतंत्र रूप से साझा कर सकते हैं।

समूह के सदस्य वार्ड में उपलब्ध भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान बड़े चार्टों के रूप में तैयार कर सकते हैं, जिन्हें वे स्वयं संकलित करें। ग्रामीण आपसी सहमति से अगले दिन के लिए अपने वार्ड में उप-ग्राम सभा हेतु एक केंद्रीय और सामान्य स्थान निर्धारित कर सकते हैं।

चरण IV – वार्ड सभा में चर्चा और अनुमोदन

इस चरण में प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें समुदाय के सदस्यों के साथ योजना संबंधी गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की जाती है। इस सभा का उद्देश्य है:

- वार्ड स्तर पर एकत्रित जानकारी, समस्याओं और संसाधनों की सामूहिक समीक्षा
- समुदाय द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार
- तैयार की गई वार्ड योजना का प्रस्तुतीकरण और उस पर चर्चा
- समुदाय की सहमति से योजना का अनुमोदन प्राप्त करना

वार्ड सभा एक लोकतांत्रिक मंच है जहाँ नागरिकों को अपनी बात रखने, सुझाव देने और योजना निर्माण में भाग लेने का अवसर मिलता है। यह प्रक्रिया योजना को सहभागिता आधारित और जन-केंद्रित बनाती है।

उप-ग्राम सभा / वार्ड बैठक के दिन, समूह के किसी एक सदस्य द्वारा ग्रामीणों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, दृष्टिकोण के साथ-साथ उनकी समस्याओं और मांगों को साझा किया जा सकता है। वे वार्ड में उपलब्ध भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित एकत्रित आंकड़ों को भी साझा कर सकते हैं। वार्ड सदस्य उभरते मुद्दों पर अपने सुझाव, टिप्पणियाँ और संशोधन व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें समूह के सदस्य सभी की सहमति से बड़े चार्टों में विवेकपूर्ण ढंग से शामिल कर सकते हैं। यदि किसी विषय पर मतभेद हो, तो उसे ग्राम सभा में निर्णय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

चित्र 12.1 : पंचायत विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया

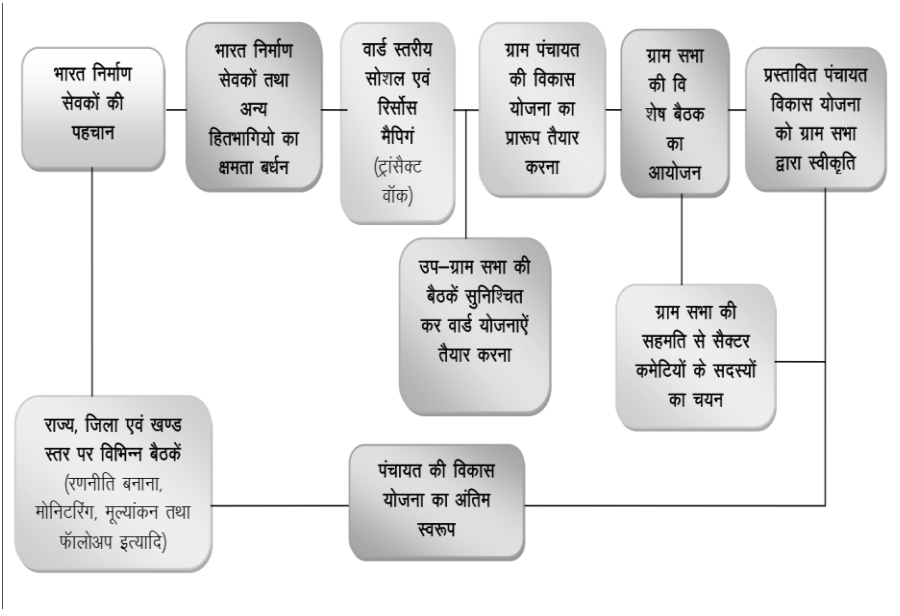

चरण V – प्रारंभिक ग्राम पंचायत योजना पर चर्चा और अनुमोदन

उप-ग्राम सभा में आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और दृष्टिकोण पर हुई विस्तृत चर्चा के आधार पर, समूह के सदस्य वार्ड योजना को विभागवार ग्राम पंचायत योजना में समाहित कर सकते हैं, जिसे उन्हीं बड़े चार्टों पर दर्शाया जाएगा। समूह के सदस्य लोगों के सभी सुझावों और आंकड़ों को चार्ट पेपर पर दर्ज करेंगे। यह प्रक्रिया एक प्रारंभिक ग्राम पंचायत योजना के रूप में परिणत होगी।

इस प्रारंभिक ग्राम पंचायत योजना पर विशेष ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी विकास/रेखा विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। उन्हें विशेष ग्राम सभा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और प्रारूपित योजना में उठाए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

समूह के सदस्य अपनी विभागवार सूक्ष्म योजनाओं को जनता और प्रशासन के साथ साझा करेंगे। ग्राम सभा के सदस्य प्रस्तावों और संकल्पों को सक्रिय रूप से अनुमोदित कर योजना को अंतिम रूप देने में भाग लेंगे।इस चरण में वार्ड स्तर पर तैयार की गई योजनाओं को समेकित कर एक प्रारंभिक ग्राम पंचायत योजना (Draft GP Plan) तैयार की जाती है। इसके बाद ग्राम सभा में निम्नलिखित गतिविधियाँ की जाती हैं:

- प्रारंभिक योजना का प्रस्तुतीकरण ग्राम सभा में किया जाता है
- ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा की जाती है
- नागरिकों को अपनी टिप्पणियाँ, सुझाव और आपत्तियाँ व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है
- आवश्यक संशोधन और सुधारों को शामिल कर योजना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया जाता है

यह प्रक्रिया योजना को जन-सहभागिता आधारित, पारदर्शी और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है इस चरण पर आवश्यकताओं की प्राथमिकता को अंतिम रूप दिया जा सकता है। संशोधन, टिप्पणियाँ और पर्यवेक्षणों को इसी स्तर पर शामिल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक अंतिम सहभागी सूक्ष्म योजना तैयार होगी, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए लिया जाएगा। ग्राम सभा इस योजना के क्रियान्वयन और निगरानी हेतु दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी समूहों के गठन को भी अनुमोदित कर सकती है।

खंड समिति द्वारा अंतिम रूप

ग्राम सभा से प्राप्त अंतिम योजना खंड समिति के लिए एक इच्छाओं की सूची के रूप में होगी, जिसे समिति को विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अंतिम रूप देना होगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों से प्राप्त निधियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

इस योजना के वित्तीय पक्ष को अंतिम रूप देने के बाद, खंड समिति को दिशा-निर्देशों के प्रारूप के अनुसार योजना का अध्याय विभाजन) करना चाहिए। इसके बाद अगला चरण होगा दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना निर्माण कार्यकारी समूह प्रारूपित योजना में शामिल कार्यों की प्राथमिकता तय करने पर कार्य करेंगे। कार्यों की प्राथमिकता और संसाधनों की पहचान के बाद, एक ऐसी

प्रणाली स्थापित की जाएगी जिससे अधिकतम दक्षता और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

कार्यकारी समूह इस योजना को पंचायत समिति के माध्यम से जिला परिषद को भेजेंगे, ताकि जिला योजना समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके। इसके बाद, तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृतियाँ दी जाएंगी, जिनमें प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

ये कार्यकारी समूह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विभागों द्वारा अनिवार्य और नियमित गुणवत्ता जांच की जाए। ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल कार्यों का क्रियान्वयन और भौतिक निगरानी ग्राम सभा में त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें योजना के लक्ष्यों की पूर्ति न होने के कारणों और सुधार के उपायों को साझा किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, खंड समिति योजना के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी कर सकती है। योजना की प्रगति की समीक्षा ग्राम सभा की त्रैमासिक बैठक का नियमित हिस्सा बननी चाहिए।

समाधान की दिशा में कदम

यदि सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर कार्य करें, तो ग्रामीण विकास की गति को कई गुना तेज किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ ठोस उपाय अपनाए जा सकते हैं:

- **स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना**: ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों को योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका देनी चाहिए।
- **जन-जागरूकता अभियान**: योजनाओं की जानकारी सरल भाषा और स्थानीय माध्यमों से पहुँचाई जाए।
- **तकनीकी समाधान**: डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाओं की पहुँच बढ़ाई जा सकती है।
- **स्थानीय भागीदारी को बढ़ावा देना**
- **जन-जागरूकता अभियान चलाना**
- **नीतियों का क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर सुनिश्चित करना**

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास एक जटिल लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है। जब सरकार और जनता मिलकर काम करें, तो पहाड़ों की ऊँचाई विकास की बाधा नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा बन सकती है। यह पहल और प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण संभव हो

सके और स्थानीय समुदाय एक सक्रिय भूमिका निभा सके। सभी हितधारकों की क्षमता विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है, और यदि उन्हें सहभागी प्रशिक्षण के माध्यम से उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, तो समुदाय और पंचायती राज संस्थाएं अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ न्याय कर सकते हैं।

इस प्रयास में दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता और ईमानदारी, तथा प्रशासन का सहयोग सफलता की कुंजी है। सभी हितधारक एकीकृत तरीके से प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं, जिससे अंततः लोगों का सशक्तिकरण और विकेंद्रीकृत योजना निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होता है। ग्रामीण विकास केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है। जब गाँव समृद्ध होंगे, तभी भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। ग्राम/पंचायत विकास योजना केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जन-आंदोलन है जो स्थानीय शासन को सशक्त बनाता है और गाँवों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है।

संदर्भ

- दलिप सिंह भूरिया समिति. (1994). *अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों रिपोर्ट.* https://ncst.nlc.ln/uploads-dev/lmportant_reports/Bhurla%20Commlsslon%20Report.pdf
- ग्राम पंचायत विकास योजना दिशा-निर्देश. (2018). पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
- स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण. (2006). विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट, योजना आयोग, भारत सरकार।
- पत्र सूचना कार्यालय. (2025). *जन योजना अभियान: जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना विकसित भारत के लिए विकसित पंचायतें*। https://www.plb.gov.ln/PressReleasePage.aspx?PRlD=2175079
- पंचायती राज विभाग. (2021). *प्रशिक्षण मार्गदर्शिका: हमारी योजना हमारा विकास*। https://upccce.org/publlc/lmages/toolklt/Flnal_CCA-DRR_GPDPFlnal.pdf
- बंसल, र. (2012). *ग्राम/पंचायत विकास योजना का निर्माण.* हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, शिमला।
- बंसल, र. (2013). स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ जमीनी योजना निर्माण. *पॉलिटिकल इकोनॉमी जर्नल ऑफ इंडिया, 23*(2)।